तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

वित्तीय नियमों के अनुपालन के आधार पर एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सम्बन्धी सूचना गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। इस अध्याय में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन पर विहंगावलोकन तथा अनुपालन की स्थिति दी गयी है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलंब

सशर्त अनुदानों के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों की उचित उपयोगिता के बारे में एक औपचारिक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। 31 मार्च 2011 के अनुसार 42,204 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के लिए ₹ 16,286.97 करोड़ बकाया थे। पिछले तीन वर्षों की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गयी है।

तालिका-3.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2008-09 तक	30622	7,987.03
2009-10	8139	1,396.40
2010-11	3443	6,903.54
योग	**42204**	**16,286.97**

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की है। राज्य में 48 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट -3.1** में दर्शाए गए है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौंपने के उपरान्त स्वायत्तशासी निकायों की आवृत्ति व्याप्ति के अनुसार लेखापरीक्षा को लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में तथा विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण में विलंब का सारांश **तालिका - 3.2** में दिया गया है।

तालिका-3.2 : लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर प्रस्तुती में विलंब

लेखाओं की प्रस्तुतीकरण में विलंब (माहों में)	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब (वर्षो में)	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या
0 - 1	--	संचालक मंडल द्वारा लेखाओं का अनुमोदन न किया जाना तथा अन्य द्वारा लेखे प्रस्तुत न करना। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण करने हेतु इकाइयों तथा मंत्रालय के साथ पत्राचार किया जा रहा है।	0 - 1	02
1 - 6	--		1 - 2	--
6 - 12	--		2 - 3	01
12 - 18	01		3 - 4	--
18 – 24	--		4 - 5	--
24 और उससे अधिक	46		5 एवं उससे अधिक	--
योग	**47**			**03**

48 इकाइयों में, से 45 इकाइयों ने अपने लेखाओं को, इकाई के आरम्भ से (1997-98 से 2006-07), चार से 12 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किए तथा तीन इकाइयों ने अपने लेखे, संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन न किए जाने तथा अन्य द्वारा लेखे की प्रस्तुती न करने के कारण, नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए (**परिशिष्ट 3.1**)।

3.3 दुर्विनियोग, हानियां, गबन आदि

सरकार ने मार्च 2011 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के 3164 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 46.21 करोड़ का सरकारी धन समाविष्ट है, पर अंतिम कार्यवाही लंबित थी। ₹ 13.86 करोड़ एवं ₹ 27.40 करोड़ के बहुत से प्रकरण, क्रमशः वानिकि एवं वन्य जीवन तथा स्कूल शिक्षा विभाग के लिये वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2010-11 हेतु दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि के लंबित प्रकरणों तथा अपलेखनों का विभागानुसार विवरण तथा उनका समयानुसार विश्लेषण **परिशिष्ट - 3.2** तथा **परिशिष्ट - 3.3** में दिए गये है एवं इन प्रकरणों की प्रकृति **परिशिष्ट - 3.4** में दी गई है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लंबित प्रकरणों की संख्या का सारांश **तालिका - 3.3** में दिया गया है।

तालिका - 3.3 : दुर्विनियोग, हानियों, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षो में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	468	32.69	चोरी	227	2.20
5 - 10	501	3.48			
10 - 15	506	5.11	सामग्री का दुर्विनियोग/ हानि	2937	44.01
15 - 20	439	1.75			
20 - 25	710	1.91	**योग**	**3164**	**46.21**
25 और उससे अधिक	540	1.27	वर्ष के दौरान अपलेखन किए गए हानियों के प्रकरण	30	4.09 लाख
योग	**3164**	**46.21**			

2010-11 के दौरान अपलेखन की गई ₹ 4.09 लाख की राशि को समाविष्ट करते हुए हानियों के 30 प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट - 3.3** में दिया गया है।

आगे और विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित थे उनको **तालिका - 3.4** में सूचीबद्ध संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका - 3.4 : दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के बकाया प्रकरणों के कारण

विलंब/बकाया लंबित प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	7	0.07
(ii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3156	46.11
(iii)	न्यायालयों में लंबित	1	0.03
	योग	**3164**	**46.21**

3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब, विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना तथा अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि चालू माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय के देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार को प्रेषण हेतु अग्रेषित कर दिए गए हैं। 31 मार्च 2011 को 1996-97 से लेकर 2010-11 तक की अवधि से संबंधित ₹ 21.43 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के बकाया शेष थे। वर्षवार ब्यौरे **तालिका-3.5** में दिए गए हैं।

तालिका 3.5:- संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति लंबित होना

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	वर्ष	बकाया संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की राशि
1	1996-1997	0.16
2	1997-1998	0.03
3	1998-1999	2.42
4	1999-2000	4.28+4.03[1]
5	2000-2001	1.70
6	2001-2002	0.003
7	2002-2003	निरंक
8	2003-2004	निरंक
9	2004-2005	4.60[2]
10	2005-2006	2.74[2]
11	2006-2007	0.03+0.25[2]
12	2007-2008	0.01
13	2008-2009	0.007
14	2009-2010	0.02
15	2010-2011	1.15
योग		**21.43**

2010-11 तक के वर्षो के लिए विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के ब्यौरे **परिशिष्ट-3.5** में दिए गए हैं।

3.4.2 प्राप्ति एवं व्यय का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा इसे बजट अनुदानों के भीतर रखने और अपने लेखाओं की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण अधिकारियों को अधिकार-संपन्न बनाने हेतु कोषालय संकलन की नियमावली (द्वितीय संस्करण 2007), में यह अनुबद्ध है कि उनकी पुस्तकों में अंकित व्यय का मिलान उनके द्वारा वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार की पुस्तकों में अंकित व्यय से किया जाय। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2010-11 के दौरान भी इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा। 10 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने मार्च 2011 तक ₹ 808.08 करोड़ की व्यय की राशि का मिलान नहीं किया। इनमें से पाँच नियंत्रण अधिकारियों के मामलों में कुल ₹ 799.42 करोड़ की

---

[1] *मुख्य शीर्ष 2202 से संबंधित ₹ 4.03 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक आग में नष्ट हो गये जो 29.2.2000 को लगी थी और इसके विवरण उपलब्ध नहीं है।*

[2] *मुख्य शीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी) से संबंधित ₹ 4.60 करोड़, ₹ 2.74 करोड़ एवं ₹ 0.25 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक के विवरण, गबन मामले की अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण, उपलब्ध नहीं है।*

राशियों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि **तालिका-3.6** में दर्शाया गया है। मुख्यतः सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा राशियों का मिलान नहीं किया गया।

तालिका-3.6 : नियंत्रण अधिकारियों की सूची जिनके अधीन 2010-11 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ से अधिक की राशियों का मिलान नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	नियंत्रण अधिकारी	मिलान न की गई राशि
1	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल	327.91
2	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल	25.99
3	आयुक्त, इंदौर	10.22
4	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	262.23
5	मुख्य प्रधान, वन संरक्षक, भोपाल	173.07
योग		**799.42**

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को महालेखाकार द्वारा लेखांकित आँकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान सरकार की कुल ऋणेतर प्राप्तियाँ ₹ 52,257 करोड़ के विरूद्ध, ₹ 17,698 करोड़ (केवल 34 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किये गये थे।

3.4.3 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थाई अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते हैं। राज्य वित्त विभाग के अनुदेशों (अक्टूबर 2001) के अनुसार, दौरे अथवा आकस्मिक व्यय के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए अस्थाई अग्रिमों को तीन माह के भीतर अथवा वित्त वर्ष के अन्त तक, जो भी पहले हो, समायोजित किया जाना चाहिए। अन्यथा जिम्मेवार कर्मचारी/अधिकारी से भारतीय स्टेट बैंक की आवधिक जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011) के दौरान और विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी (जिस सीमा तक उपलब्ध थी) से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 9.43 करोड़ के 2463 अग्रिम, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उनके अभिलेखों में समायोजन के लिए लंबित थे। एक से लेकर 10 वर्षो से अधिक की अवधि वाले अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को संबंधित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया। लंबित अग्रिमों का समयवार विश्लेषण **तालिका-3.7** में दिया गया है।

तालिका-3.7 लंबित अग्रिमों का समयानुसार विश्लेषण

सरल क्रमांक	लंबित अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	10 वर्षो से अधिक	278	9.84
2	पाँच वर्षो से अधिक और 10 वर्षो तक	225	11.76
3	एक वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्षो से कम	682	322.63
4	एक वर्ष से कम	1278	598.61
योग		**2463**	**942.84**

3.4.4 लेखाओं के संप्रेषण में विलम्ब

महालेखाकार को कोषालय, लोक निर्माण संभाग और वन संभाग द्वारा भेजे जाने वाले लेखाओं में औसतन चार से सात दिनों का विलम्ब रहा। लेखाओं के संकलन में विलम्ब से बचने के लिये कोषालय एवं संबंधित विभागों द्वारा समय से लेखाओं का सम्प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.5 वैयक्तिक जमा लेखे

वैयक्तिक जमा लेखाओं का सृजन लोक लेखे में राज्य की समेकित निधि के नामे (डेबिट) के द्वारा किया जाता है और उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सुसंगत सेवा शीर्षो को ऋण नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। 31 मार्च 2011 को 55 जिला कोषालयों में 812 वैयक्तिक जमा लेखे विद्यमान थे (सरकारीः 806, अर्ध सरकारीः 06) जिनमें ₹ 2062.78 करोड़ के शेष थे। इनमें से 315 वैयक्तिक जमा लेखाओं, जिनमें ₹ 267.12 करोड़ के शेष थे, 2010-11 के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ था। वैयक्तिक जमा लेखाओं में अंतिम शेषों से यह प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व सुसंगत सेवा शीर्ष को ऋण नामे डालकर वैयक्तिक जमा लेखाओं को बंद करने संबंधी मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 उप-नियम 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम-6 के अनुसार कोषालय से आहरित सरकारी धन को सरकारी लेखे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 के अनुसार कोषालय से धन का कोई आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। वित्त विभाग के अनुदेशों के अनुसार (फरवरी 2009) सभी बैंक लेखाओं को 28 फरवरी 2009 तक बंद किया जाना चाहिए था और राशि को सरकारी लेखे में अंतरित किया जाना चाहिए था। कोई भी वैयक्तिक जमा लेखा वित्त विभाग के अनुमोदन के बिना जारी नहीं रखना था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-। के उप-नियम 543 के नीचे सरकारी अनुदेश 2 (क से घ तक) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासक द्वारा कोषालय अभिलेखों और कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष

का मिलान कराना चाहिए और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने के लिए धन (+) और ऋण (-) के ज्ञापन प्रतिमाह तैयार करने चाहिए। उप-कोषालय, महू और चयनित वैयक्तिक जमा लेखे के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च और जुलाई 2011) से निम्न तथ्य प्रकट हुएः

. (i) सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, बैतूल के वैयक्तिक जमा लेखे 21 से वर्ष के दौरान आहरित किए गये, ₹ 17.02 करोड़ में से, सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण, बैतूल के भारतीय स्टेट बैंक के चालू खाते में, 2010-11 के दौरान, ₹ 17 करोड़ अंतरित किए गए थे, जो कि वित्त विभाग के अनुदेशों (फरवरी 2009) और मध्य प्रदेश वित्त संहिता, भाग-। के नियम-6 का उल्लंघन था। रोकड़ पुस्तक के अनुसार ₹ 16.15 करोड़ की राशि (₹ 15.83 करोड़ बैंक लेखे में और ₹ 0.32 करोड़ वैयक्तिक जमा लेखे में) 31 मार्च 2011 को अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक के लेखे में जमा राशि में (रोकड़ पुस्तकः ₹ 15.83 करोड़, बैंक अभिलेखः ₹ 26.30 करोड़) ₹ 10.47 करोड़ का अंतर था और वैयक्तिक जमा लेखे (कोषालयः ₹ 49 लाख, रोकड़ पुस्तकः ₹ 33 लाख) में ₹ 16 लाख का अंतर था। ये इंगित करते हैं कि वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासक ने रोकड़ शेषों का मिलान नहीं किया था। विभाग ने बताया (जुलाई-2011) कि निर्माण एजेन्सियों को भुगतान करने के लिए वैयक्तिक जमा लेखे से धन का आहरण किया गया था, परन्तु देयकों के प्राप्त न होने के कारण और निर्माण कार्यों का मूल्यांकन न होने के कारण पूरा भुगतान नहीं किया जा सका तथा राशि को बैंक लेखे में रखा गया। शेषों का समाधान बैंक और कोषालय से भी कर लिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों और कोषालय के अभिलेखों से शेषों के समाधान, वैयक्तिक जमा लेखे को बंद करने और बैंक लेखे में निधियों के अंतरण से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं किया। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

. (ii) 31 मार्च 2011 को, पाँच भू-अर्जन अधिकारियों[3] के वैयक्तिक जमा लेखे में ₹ 161.93 करोड़ के शेष या तो प्रतिपूर्ति-प्राप्तकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के संवितरण के लिए अथवा सरकारी संस्थाओं को वापस करने के लिए पड़े हुए थे। वैयक्तिक जमा लेखे न तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद किए गए थे और न हीं उनको जारी रखने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। भू-अर्जन अधिकारियों द्वारा वैयक्तिक जमा लेखे में पड़ी हुई निधियों के योजनावार ब्यौरे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 31 मार्च 2011 को चार भू-अर्जन अधिकारियों[4] से संबंधित वैयक्तिक जमा लेखे के शेष में ₹ 22.54 करोड़ का अंतर रोकड़ पुस्तक और कोषालय अभिलेखों के आँकड़ों

---

[3] भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी (₹ 2.00 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, धार (₹ 58.90 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, खरगौन (₹ 3.14 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा (₹ 36.09 करोड़) और जिला भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर (₹ 61.80 करोड़)

[4] भू-अर्जन अधिकारी, धार (₹ 11.53 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगाँव, खरगौन (₹ 0.09 करोड़), भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा (₹ 5.91 करोड़) और जिला भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर (₹ 5.01 करोड़)

के मध्य था। इससे यह प्रकट हुआ कि प्रशासक ने न तो कोषालय अभिलेखों से शेषों के मिलान के संबंध में अनुदेशों का पालन किया और न ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को धन (+) और ऋण (-) के ज्ञापन प्रस्तुत किए। विभाग ने बताया कि अंतर के मिलान की प्रक्रिया भविष्य में अपनाई जाएगी।

. भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा द्वारा 2010-11 के दौरान ₹ 39.90 करोड़ की राशि का एक चैक वैयक्तिक जमा लेखे जी-14 से शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मुंडी के पक्ष में इन अनुदेशों के साथ जारी किया गया था कि प्राप्तकर्ताओं के बैंक लेखे खोलने के पश्चात प्राप्तकर्ताओं की सूची के अनुसार भुगतान करें। प्राप्तकर्ताओं को संवितरित राशि से संबंधित कोई अभिलेख, संवितरण के लिए पड़े हुए शेष और संवितरण नहीं किए जाने के कारणों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ₹ 39.90 करोड़ की राशि से संबंधित वास्तविक स्थिति इस कारण से लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त 2011), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

. (iii) संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैवकीय संस्थान (जैविक उत्पाद संस्थान) महू, इंदौर के नाम से 2006-07 में एक वैयक्तिक जमा लेखा खोला गया था। 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान, ₹ 12.37 करोड़ वैयक्तिक जमा लेखे में जमा किए गए थे। 2006-09 के दौरान जमा किए गए ₹ 12.37 करोड़ में से, जुलाई 2011 को वैयक्तिक जमा लेखे में ₹ 11.88 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए केवल ₹0.49 करोड़ (4 प्रतिशत) ही उपयोग किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.88 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और तत्संबंधित वर्ष के लेखे में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया जाकर वैयक्तिक जमा लेखे में निधियों का अंतरण, मध्य प्रदेश कोष संहिता, खंड-1, के पूरक नियम 284 के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके अनुसार कोषालय से तब तक धन का कोई आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए उसकी आवश्यकता न हो। मध्य प्रदेश कोष संहिता, भाग-1 के नियम 543 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वैयक्तिक जमा लेखे को बंद नहीं किया गया था। मामले की सूचना सरकार को भेजी गयी थी (अगस्त 2011)। संचालक ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2011) कि वैयक्तिक जमा लेखे को जारी रखने के संबंध में इस मामले में संचालक, पशु-चिकित्सा सेवाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल और वित्त विभाग से पत्राचार चल रहा है।

. (iv) अनुदान संख्या 56 के अधीन विशेष सहायता योजना-6875 ईरी रेशम उत्पादन तथा विकास योजना के लिए 2005-07 में जारी किए गए ₹ 6.80 करोड़ में से, ₹ 2.28 करोड़ के अव्ययीत शेष 31 मार्च 2011 को, 2008-09 से, संचालक, रेशम उत्पादन, भोपाल के वैयक्तिक जमा लेखे 38 में पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 73 लाख भी जिलों (₹ 42 लाख) और मध्य प्रदेश रेशम संघ बैंक लेखे (₹ 31 लाख) में अव्ययीत पड़े हुए थे। सहायक संचालक, रेशम उत्पादन ने बताया (जुलाई 2011) कि उपर्युक्त धन की वापसी के लिए अनुमति हेतु प्रधान सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, भोपाल को पत्र जारी किया जा चुका है (जुलाई 2009)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशियाँ

अभी भी अव्ययीत पड़ी हुई थीं (जुलाई 2011) और वैयक्तिक जमा लेखे के साथ-साथ बैंक लेखे को भी बंद नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2008-09 से ₹ 3.01 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग-1 के उप-नियम 284 और 543 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

3.6 निष्कर्ष

₹ 16,286.97 करोड़ की कुल राशि के अनुदानों के संबंध में 42204 उपयोगिता प्रमाणपत्र अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों से प्रतिक्षित थे। 47 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में 12 से 24 महीनों और उससे अधिक का विलम्ब हुआ था जिससे उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही दुष्प्रभावित होती है। ₹ 46.21 करोड़ की राशि की हानियों, दुविनियोजनों इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार के अनुपालन में कमी थी। 1996 से 2011 तक की अवधि के लिए संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिलों के विरूद्ध ₹ 21.43 करोड़ की राशि के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल प्रतिक्षित थे। मध्य प्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 2,063 करोड़ 812 वैयक्तिक जमा लेखे में रोक कर रखे गए थे। दस विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना और ₹ 52,257 करोड़ की कुल ऋणेतर प्राप्तियों के 66 प्रतिशत का लेखा-मिलान न होना भी ध्यान में आया। इन समस्त कमियों ने विभागों में आन्तरिक नियंत्रण के अभाव और सरकार द्वारा निष्प्रभावी शासन को प्रतिबिंबित किया है।

3.7 अनुशंसाएं

दुर्विनियोजनों, हानियों इत्यादि के प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए। स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के समयोचित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2011 को विशाल शेषों वाले व्यक्तिगत जमा लेखे को बंद करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए तथा निधियों को समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए। विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व में जारी किए गए अनुदानों के समुचित उपयोग को अभिनिश्चित करने के पश्चात हीं निधियाँ जारी की जाए। 2010-11 की समाप्ति पर बकाया रहे अस्थायी अग्रिमों की वसूली/समायोजन उसी समय किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए विभिन्न विभागों में आन्तरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

ग्वालियर
दिनांक

(के.के. श्रीवास्तव)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक